

**न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा,**  
**न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म0प्र0)**

आप.प्रक.क्रमांक-634 / 2013

संस्थित दिनांक-10.07.2013

फाई. क्र.234503000092013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर,

जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — **अभियोजन****// / विरुद्ध // /**

1.हरपीत पिता मेवासिंह बंजारा, उम्र-23 वर्ष,

निवासी ग्राम रजमा बंजारा मोहल्ला थाना बैहर जिला बालाघाट,

2.टी.आई. उर्फ नंदलाल तुलसीराम बंजारा, उम्र-24 वर्ष

निवासी ग्राम रजमा नायक मोहल्ला थाना बैहर जिला बालाघाट,

3.बल्लू उर्फ राधेश्याम पिता स्व. बल्लू बंजारा, उम्र 24 वर्ष

निवासी ग्राम रजमा नायक मोहल्ला थाना बैहर जिला बालाघाट।

— — — — **आरोपीगण****// / निर्णय // /****(आज दिनांक 09/01/2018 को घोषित)**

01. आरोपीगण हरपीत, टी.आई. उर्फ नंदलाल एवं बल्लू उर्फ राधेश्याम के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-338(काउण्ट-02) के अंतर्गत अपराध किये जाने का आरोप है कि आरोपीगण ने दिनांक 13.02.2013 को 07:30 बजे ग्राम रजमा इंदर पंचतिलक का खेत थाना बैहर अंतर्गत किसी जंगली जानवर को पकड़ने के लिए बिजली के तार बिछाये थे, जिससे डेविड एवं इन्दरलाल को करेन्ट लगा और जलकर उन्हें घोर उपहति कारित हुई।

02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13.02.13 को शासकीय अस्पताल बैहर से मुर्तजर डेविड मरार की बिजली वायर करेन्ट लगने से घायल होने से ईलाज हेतु सी.एच.सी. बैहर में भर्ती होने संबंधी तहरीर प्राप्त हुई, जिसके संबंध में सी.एच.सी. बैहर जाकर जांच की गई। जांच में मुर्तजर डेविड एवं मुर्तजर इन्दरलाल का मुलाहिजा करवाया गया। मुर्तजर

इन्दरलाल तथा गवाहों के कथन लेख किये गये। डेविड एवं उसका दादा इन्दरलाल चना एवं अलसी की रखवाली करने खेत में बनी झोपड़ी में जा रहे थे। किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जंगली जानवर को मारने के लिए खेत के बाजू से जाने वाली विद्युत लाईन से अवैध कनेक्शन लेकर खेत में जी.आई.तार लगाकर करेन्ट फैलाये थे, जिसकी चपेट में डेविड एवं उसका दादा इन्दरलाल आ जाने से करेन्ट लगने से घायल हो गये। उक्त रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अंतर्गत धारा-337 ताहि. 135, 139 विद्युत अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र क्रमांक 41/2013 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

**03—** आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-338 (काउण्ट-02) के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपीगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया। आरोपीगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

**04—** प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

**01.** क्या आरोपी ने दिनांक 13.02.13 को समय 07:30 बजे ग्राम रजमा इन्दर पंचतिलक का खेत थाना बैहर अंतर्गत किसी जंगली जानवर को पकड़ने के लिए बिजली के तार बिछाये थे, जिससे डेविड एवं इंदरलाल को करेन्ट लगा और जलकर उन्हें घोर उपहति कारित हुई ?

**विवेचना एवं निष्कर्ष:-**

**05—** साक्षी इंदरलाल अ.सा.01 का कथन है कि वह आरोपीगण को जानता है एवं प्रार्थी डेविड उसका नाती है। घटना दिनांक 13.02.13 को शाम के 7-8 बजे उनके खेत की है। वह अपने नाती डेविड के साथ खेत की रखवाली करने जा रहा था, तभी रास्ते पर किसी ने बाउण्ड्री के अंदर करेन्ट का

तार बिछा रखा था, जिससे उसके नाती डेविड को करंट लग गया था और उसने चिल्लाया तो वह उसे बचाने के लिये गया तो उसे भी करंट लग गया, जिससे वह बेहोश हो गया था। करंट लगने से उसे पैर पर चोट लगी थी और उसका नाती पूरी तरह जल गया था। उक्त करंट हरपीत ने जानवरों को मारने के लिये बिछाया होगा। उसने चिल्लाया तो बचाने के लिये संतोष, गणेश ने उठा कर लाये थे। उसका और उसके नाती का ईलाज रायपुर में हुआ था। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। पुलिस मौके पर आयी थी और मौका-नक्शा उसकी निशादेही पर बनायी थी, जो प्रपी-1 है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने आरोपी हरपीत को करंट का तार बिछाते नहीं देखा था।

**06—** साक्षी डेविड पंचतिलक अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना दिनांक 13.02.13 को शाम के 8:00 बजे की उनके खेत की है। वह अपने दादाजी के साथ खेत की रखवाली करने गया था। जैसे ही उन लोग खेत की बाउण्ड्री के पास पहुँचे तो आरोपीगण ने करंट का तार लगाये थे, जिससे उसके दोनों पैरों पर करंट लग गया था और उसका पूरा शरीर जल गया था। उसने चिल्लाया तो उसके दादाजी इंदरलाल उसे बचाने के लिए आया तो उन्हें भी करंट लगा था, जिससे वह बेहोश हो गये थे। उसके दादाजी इंदरसिंह के चिल्लाने पर पूरे गांव के लोग आये थे। उसे ईलाज कराने के लिए शासकीय अस्पताल बैहर में लाये थे। उक्त करंट जानवरों को मारने के लिए आरोपीगण द्वारा बिछाया गया था। घटना की रिपोर्ट थाना बैहर में किया था, जो प्रपी.02 है। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे।

**07—** साक्षी डेविड पंचतिलक अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपीगण उसके ही गांव के है, इसलिए वह उन्हें जानता है, वह आरोपीगण को विद्युत करंट का तार बिछाते हुये नहीं देखा था। साक्षी के अनुसार खूटी काटते हुये देखा था। साक्षी ने यह

अस्वीकार किया है कि वह गांव वालों के कहने पर बयान दे रहा है, किन्तु इन सुझावों को स्वीकार किया है कि पुलिस वालों को बयान भैया लोगों के द्वारा बिछाने वाली बात नहीं बताया था, घटना के बाद से आरोपीगण के घर आना-जाना एवं बोलचाल नहीं है। उनका खेत और आरोपीगण का खेत पास-पास में लगा है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि खेती के संबंध में उनके परिवार और आरोपीगण के परिवार का पहले से विवाद है।

**08—** साक्षी खेलंतीबाई अ.सा.04 का कथन है कि वह आरोपीगण को जानती है। आहत इंदर और डेविड को भी जानती है। घटना वर्ष 2012 को रात्रि के समय सात-आठ बजे ग्राम रजमा की है। उसका ससुर इंदर और डेविड दोनों खेत पर गेहूँ रखने के लिए गये थे। खेत में उन्हें करेण्ट लग गया था। उसे अंतराम ने आकर बताया कि इंदर और डेविड को करेण्ट लग गया है, तब वह वहाँ पहुँचे। वहाँ से उठाकर डेविड को अस्पताल ले जा लिये थे। खेत में करेण्ट का तार विद्युत खम्बे से लाया गया था। जानवर को मारने के लिए विद्युत करेण्ट का तार बिछाया गया था। उसे कोटवार ने बताया था कि नंदलाल और राधेश्याम ने करेण्ट का तार लगाये थे। फिर हरपीत की माँ उनके घर आयी और उसके पति सुरेश से कहा की भैया उसके लड़के को एक बार बचा लो। फिर उसके पति सुरेश ने उससे कहा था कि डेविड को जो करेण्ट लगा है उसको देखकर आता हूँ फिर बात करूँगा। हरपीत की माँ की यह बात फूलनबाई ने भी सुनी है।

**09—** साक्षी खेलंतीबाई अ.सा.04 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि दिनांक 13.02.2013 को शाम के साढ़े सात बजे ग्राम रजमा में उनके खेत पर आरोपीगण द्वारा जंगली जानवरों को मारने के लिए बिजली का तार बिछाया गया था, जिनकी गलती के कारण इंदरलाल और डेविड को करेण्ट लगा था, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आयी थी, डेविड के दोनों हाथ और पैर अभी भी काम नहीं करते हैं और हिलते-डुलते भी नहीं हैं।



**10—** साक्षी खेलंतीबाई अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के संबंध में कोटवार के द्वारा चर्चा के दरमियान उसने सुनी थी, कोटवार ने आरोपीगण से दुश्मनी के कारण आरोपीगण को फंसाने के लिए कहा हो तो उसे जानकारी नहीं है। साक्षी के अनुसार कोटवार और आरोपीगण के बीच में कोई दुश्मनी नहीं है। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर वह नहीं गयी थी, बिजली पोल से करेण्ट किसने बिछाया था उसे जानकारी नहीं है, क्योंकि उसने आरोपीगण को करेण्ट लगाते हुए नहीं देखी थी, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि कोटवार के द्वारा चर्चा करने के दरमियान हरपीत की माँ उसके घर पर माफी मांगने आयी थी, आहतगण उसके देवर के लड़के और ससुर है, इसलिए आरोपीगण को फंसाने के लिए झूठा कथन कर रही है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना घटने के बाद गांव वालों के कहने पर वह बयान दे रही है।

**11—** साक्षी पूनमबाई अ.सा.05 का कथन है कि वह आरोपीगण को जानती है। आहत इंदर और डेविड को भी जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग चार वर्ष पूर्व रात्रि के समय आठ-नौ बजे ग्राम रजमा की है। उन्हें रात्रि में हल्ला होने की आवाज आयी कि दौड़ो तब उन लोग वहाँ देखने गये थे। लड़के को खेत से उठाकर अस्पताल ले गये थे और इंदर वही पर पड़ा था, जो बेहोश था। उसके बाद वह लोग घर आ गये थे। इंदर को अस्पताल से जब घर ले आये थे तब देखने गये थे। हरपीत की माँ सुरेश के घर जाकर सुरेश के पैर पढ़ रही थी क्या कही इसके बारे में उसे जानकारी नहीं है वह दूर खड़ी थी। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और ना ही उसके बयान लिये थे।

**12—** साक्षी पूनमबाई अ.सा.05 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि घटना चार-पांच साल पुरानी होने के कारण घटना का दिन महीना एवं साल याद नहीं है कि घटना कब की है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि जंगली जानवरों को मारने के लिए

आरोपीगण द्वारा बिजली का तार बिछाया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह आहत डेविड एवं इंदर को घटना के पहले से जानती है। वह आरोपीगण को भी घटना के पहले से जानती है, जो उसके गांव के है। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि गांव में अपने से बड़ों के पैर पड़ते हैं, हरपीत की माँ पैर पड़ते समय क्या बोल रही थी उसने नहीं सुनी थी। घटना किसकी गलती से घटित हुई इसके बारे में उसे जानकारी नहीं है।

**13—** साक्षी शांतिबाई अ.सा.07 का कथन है कि वह आरोपीगण को जानती है। वह आहत डेविड एवं इंदरलाल को भी जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग एक वर्ष पूर्व शाम के समय की है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे घटना के संबंध में कोई पूछताछ नहीं की थी और ना उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 13.02.13 को रात्रि के साढ़े ग्यारह बजे की है, किन्तु यह स्वीकार किया है कि घटना इंदरलाल के खेत की है। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि इंदरलाल के खेत से जोर-जोर से आवाज आ रही थी, उसके घर पर मोबाईल से फोन आया था, आरोपीगण ने इंदरलाल के खेत में जंगली जानवरों को मारने के लिए जी.आई. तार से विद्युत पोल की बड़ी लाईन से करंट लेकर बिछाये थे, उस विद्युत लाईन के करण्ट की चपेट से आहत डेविड और इंदरलाल जलकर बेहोश हो गये थे, बेहोशी की हालत में उठाकर उन्हें बैहर में भर्ती कराया गया था।

**14—** साक्षी शांतिबाई अ.सा.07 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को भी अस्वीकार किया है कि घटना के दूसरे दिन रनकीबाई बंजारा इंदरलाल के घर आयी थी, फूलनबाई, खेलंतीबाई एवं वह जब हरपीत के घर में बैठे हुए थे तब रनकीबाई ने कहा कि हरपीत, नंदलाल और राधेलाल को माफ कर दो, आरोपीगण की गलती के कारण करण्ट लगने

से डेविड और इंदरलाल को चोटें आयी थी, तीनों आरोपीगण द्वारा बिछाये गये जी.आई. तार के विद्युत पोल की बड़ी लाईन से करंट लगाकर घटना घटित हुई थी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रपी.12 पुलिस को न देना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि घटना कहाँ की है इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसका कोई बयान नहीं लिया था। घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

**15—** साक्षी राजेन्द्र अ.सा.08 का कथन है कि वह आरोपीगण को जानता है। वह आहत डेविड एवं इंदरलाल को भी जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग चार वर्ष पूर्व ग्राम रजमा में इंदरलाल के खेत की है। उसके पिता इंदरलाल और उसका लड़का डेविड खेत में गेंहू चना की रखवाली करने गये थे। वह घर पर नहीं था। फिर उसने डेविड को बालाघाट अस्पताल लेकर गया था और भर्ती करवाया था। उसे लोगों ने बताया था कि करंट लगने से डेविड और इंदरलाल को चोटे आयी है। उसके बाद उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने घटना के संबंध में कोई पूछता नहीं की थी और ना ही उसके बयान लिये थे।

**16—** साक्षी राजेन्द्र अ.सा.08 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 13.02.13 को रात्रि के आठ बजे की है, आरोपीगण द्वारा जंगली जानवरों को मारने के लिए विद्युत पोल की बड़ी लाईन से करेण्ट बिछाकर रखे थे, किन्तु यह स्वीकार किया है कि डेविड को करेण्ट लग जाने से वह बेहोश हो गया था। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि डेविड के दोनों पैरों पर चोट आयी थी, रनकीबाई उनके घर आयी थी और कह रही थी कि हरपीत, नंदलाल और राधेश्याम को माफ कर दो, तीनों आरोपीगण द्वारा बिछाये गये जी.आई. तार से विद्युत पोल की बड़ी लाईन से करेण्ट लगाकर घटना घटित हुई थी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रपी.13 पुलिस को न देना व्यक्त किया।

**17—** साक्षी संतोष अ.सा.09 का कथन है कि वह आरोपीगण को

जानता है। वह डेविड एवं इंदरलाल को भी जानता है। घटना कब की है उसे जानकारी नहीं है। पुलिस ने घटना के संबंध में कोई पूछताछ नहीं की थी और ना ही उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को वह तथा उनके पड़ोस का गणेश मरार रजमा बस्ती में किराना दुकान के तरफ शाम के छः बजे गये थे, वह दोनों जब अपने खेत तरफ जा रहे तो उन्होंने देखा कि आरोपीगण खेत के पीछे मेढ़ बंदी पर होते जा रहे थे, हरपीत बंजारा और राधेश्याम, नंदलाल तीन लोग थे जो इंदरलाल के खेत पर थे जहाँ पर गेहूँ, चना लगा हुआ है जी.आई. तार बिछा रहे थे, आरोपीगण द्वारा बिछाये जार की चपेट में आने से डेविड और इंदरलाल को चोट आयी थी, आरोपीगण द्वारा बिछाये गये विद्युत करंट से डेविड व इंदरलाल को चोट आने से घटना घटित हुई थी, उसे बचाव-बचाव की आवाज आने से वह वहाँ गया था, उसने घटना घटित होते हुए देखी थी, वह आरोपीगण को बचाने के लिये झूठे कथन कर रहा है, जंगली जानवरों को मारने के लिये विद्युत तार करंट आरोपीगण द्वारा बिछाया गया था। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रपी-14 पुलिस को न देना व्यक्त किया।

**18—** साक्षी नंदकिशोर अ.सा.10 का कथन है कि वह आरोपीगण को जानता है। उसे घटना की जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 13.12.2013 को रात्रि करीब 7:30 बजे रानकीबाई का लड़का मुंडा बुलाने आया था जिसने बताया कि उसके घर के पीछे इन्दर के खेत में जंगली जानवर को मारने के लिये लगाये गये तार की चपेट में इन्दरलाल और डेविड आ गये हैं, फिर वह घटनास्थल पर जाकर देखा कि इन्दरलाल और उसका लड़का बेहोश थे, जिन्हें करेण्ट लगने से पैर में चोटें थी और उन्हें बैहर अस्पताल लेकर गये थे, अगले दिन रनकीबाई कह रही थी कि आरोपीगण से गलती हो गई है उन्हें माफ़ कर दो, क्योंकि उन लोगों ने बड़ी लाईन से अवैध कनेक्शन लेकर जानवर मारने के लिये करेण्ट



लगाया था, जिसकी चपेट में आहतगण आ गये थे। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.15 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसका आरोपीगण से समझौता हो गया है, इसलिये न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

**19—** साक्षी सुभाष अ.सा.11 का कथन है कि वह आरोपीगण को जानता है। पुलिस ने उसके समक्ष कुछ जप्त नहीं किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल से एक सात फिट चार इंच लंबी लकड़ी जिसमें विद्युत करेण्ट से जलने के निशान थे तथा एक खाकी कलर का पेंट का जला हुआ टुकड़ा डेविड का पहना हुआ जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.11 बनाया था, उसका आरोपीगण से समझौता हो गया है, इसलिये असत्य कथन कर रहा है।

**20—** साक्षी शंकरलाल अ.सा.13 का कथन है कि वह आरोपीगण को जानता है। पुलिस ने उसके समक्ष कुछ जप्त नहीं किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल से एक सात फिट चार इंच लंबी लकड़ी जिसमें विद्युत करेण्ट से जलने के निशान थे तथा एक खाकी कलर का पेंट का जला हुआ टुकड़ा डेविड का पहना हुआ जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.11 बनाया था, उसका आरोपीगण से समझौता हो गया है, इसलिये न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

**21—** साक्षी मुलायम अ.सा.14 का कथन है कि वह आरोपीगण को जानता है। उसे घटना की जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 13.02.2013 को वह घर पर था, तभी आवाज आने पर बाहर जाने पर पता चला कि इंदरलाल

के खेत में जंगली जानवर को मारने के लिये मेन लाईन के तार से लगाये गये करेण्ट की चपेट में आने से इंदरलाल और उसका नाती डेविड जलकर घायल हो गये हैं, वह तथा मरारी मोहल्ले के अन्य व्यक्ति घटनास्थल पर गये तब इंदर तथा डेविड को चौराहा रास्ते पर ले आये थे, जिन्हें ईलाज हेतु बेहोशी की हालत में शासकीय अस्पताल बैहर में भर्ती कराया गया था और डेविड को ज्यादा चोट लगने के कारण डॉक्टर साहब द्वारा बालाघाट रिफर कर दिया गया था, बाद में पता चला था कि आरोपीगण द्वारा इंदर के खेत में बड़ी लाईन पोल से अवैध कनेक्शन लेकर लगाये गये करेण्ट की चपेट में आने से इंदर और डेविड को चोटें आई थी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.21 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपीगण से समझौता हो गया है, इसलिये असत्य कथन कर रहा है।

**22—** साक्षी गणेश अ.सा.15 का कथन है कि वह आरोपीगण को जानता है। उसे घटना की जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक 13.02.2013 को शाम करीब 6:00 बजे वह और संतोष रजमा बस्ती से पैदल हरपीत के घर के पड़ोस के खेत की मेढ़ के पगडंडी रास्ते से घर आ रहे थे, तभी आरोपीगण हरपीत, नंदलाल और बबलू तीनों बड़ी लाईन के बिजली खंभे से जंगली जानवरों को मारने के लिये जी.आई. तार हरपीत के खेत से इंदर के खेत में फैलाते हुए ले जा रहे थे, जिसे उसने और संतोष ने देखा था, वह लोग अपने घर मरारी मोहल्ला चले गये और करीब 7:30 बजे आवाज आने पर वह दोनों बाहर निकले तो अंतराम ने बताया कि इंदर तथा उसका नाती डेविड इंदरलाल के खेत में जंगली जानवर को मारने के लिये मेन लाईन के तार से लगाये गये करेण्ट की चपेट में आने से जलकर घायल हो गये हैं, वह तथा मरारी मोहल्ले के अन्य व्यक्ति घटनास्थल पर गये तो इंदर तथा डेविड को चौराहा रास्ते पर ले आये थे, जिन्हें ईलाज हेतु बेहोशी की हालत में शासकीय अस्पताल बैहर में भर्ती कराया गया था और डेविड को ज्यादा चोट लगने के कारण डॉक्टर साहब द्वारा

बालाघाट रिफर कर दिया गया था, आरोपीगण द्वारा इंदर के खेत में बड़ी लाईन पोल से अवैध कनेक्शन लेकर लगाये गये करेंट की चपेट में आने से इंदर और डेविड को चोटें आई थी तथा जी.आई. तार लगाते हुए आरोपीगण को उसने एवं संतोष ने देखा था। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.22 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसका आरोपीगण से समझौता हो गया है इसलिये न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

**23—** साक्षी सी.के. लखेरा अ.सा.16 का कथन है कि वह दिनांक 13/12/13 को म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, बैहर में सहायक यंत्री के पद पर पदस्थ था। उसके द्वारा थाना प्रभारी बैहर के पत्र क्रमांक 748 के माध्यम से लेख किया गया था कि उक्त दिनांक को ही शाम सात बजे ग्राम बंजाराटोला रजमा में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 11 के.वी. विद्युत लाइन से तार डालकर अवैध रूप से जंगली जानवर मारने का दुष्कृत्य किया गया, जिसमें फसल की रखवाली करने जा रहे मरारीटोला निवासी डेविड व इन्दरलाल घायल हो गये तथा विद्युत प्रवाह में व्यवधान उत्पन्न हो गया। उक्त पत्र प्रदर्श पी-23 के द्वारा थाना प्रभारी को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया गया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

**24—** साक्षी सी.के. लखेरा अ.सा.16 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने उक्त पत्र थाना प्रभारी को दिया था। उक्त पत्र देने के बाद उक्त प्रकरण की उसे कोई जानकारी नहीं है। उसे यह भी जानकारी नहीं है कि इसके बाद उन्होंने जाँच किये या नहीं। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि इसके बाद उसे कोई रिपोर्ट थाना प्रभारी बैहर द्वारा नहीं दी गई, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि वह घटनास्थल नहीं गया था। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसके सामने घटनास्थल का पंचनामा तैयार नहीं कराया गया था, उक्त तार किसके द्वारा फँसाया गया था, उसे जानकारी नहीं है, उसने विद्युत तार में किसी व्यक्ति को फँसे हुये नहीं देखा था और ना ही तार को जोड़ते हुये देखा था। साक्षी के अनुसार लाइन मेन ने उसे सूचना

दिया था और उसके घटनास्थल पर पहुँचने तक बिजली सुधार दिया था। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि लाइन मेन को घटनास्थल पर विद्युत सुधारते हुये नहीं देखा था, उसके सामने कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी, पुलिस द्वारा उसके बयान दर्ज नहीं किये गये हैं।

**25—** साक्षी डॉ० आर.के. चतुर्वेदी अ.सा.12 का कथन है कि वह दिनांक 13.02.2013 को सी.एच.सी बैहर में अस्थिरोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को डेविड को इलेक्ट्रिक बर्न के बाद बैहर चिकित्सालय में भर्ती किया गया था, जिसकी तहरीर प्र.पी.16 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को आरक्षक सुखमन क्रमांक 1058 थाना बैहर द्वारा डेविड को लाने पर उसके द्वारा परीक्षण किया गया था, जिसमें जले हुये मांस तथा निम्न चोटें आई थी। आहत के दांये जांघ पर एक जला हुआ घाव, एक जला हुआ घाव बाईं जांघ पर तथा एक जला हुआ घाव बांये पैर पर पाया था। उक्त जले हुये सभी घाव की चमड़ी लिनियर रूप में जलकर अलग हो गई थी। सामान्य परीक्षण में मरीज की सामान्य परिस्थिति गंभीर एवं पूवर बताई गई, उसकी नाड़ी की गति 120 प्रतिमिनट इरेगुलर तथा रक्तचाप 90/60, मरीज के हृदय की गति पूर्णतः इरेगुलर, श्वसन तंत्र श्वास की गति 38 प्रतिमिनट एवं हार्स बेसिकुलर, ब्रेन मरीज अर्द्ध बेहोशी की हालत में तथा पेट में अकड़न मौजूद होना पाया था।

**26—** साक्षी डॉ० आर.के. चतुर्वेदी अ.सा.12 के मतानुसार उक्त चारों बर्न जो शरीर पर पाये गये हैं, जो कि 40 प्रतिशत हैं। जले हुये घाव से मिट्टी तेल की बांस नहीं आ रही है। उक्त बर्न लिनियर एवं केरोसिन स्मेल न आने के कारण व चमड़ी का रंग सफेद होने के कारण इलेक्ट्रिक करेंट से जलना प्रतीत होता है, जो उसके परीक्षण के 04 घंटे के भीतर की थी। मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जिला चिकित्सालय बालाघाट रिफर किया गया था, उसकी रिपोर्ट प्र.पी.17, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को आहत डेविड की इंडोर क्रमांक 404 के तहत अस्पताल में भर्ती किया



गया और उसे ईलाज दिया गया, जिसकी बेड हेड टिकिट संलग्न है जो प्र.पी.18 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसे रात्रि 10:30 बजे बालाघाट चिकित्सालय हेतु रिफर किया गया था।

**27—** साक्षी डॉ० आर.के. चतुर्वेदी अ.सा.12 के अनुसार उक्त दिनांक को उक्त आरक्षक द्वारा आहत इन्दरलाल का परीक्षण कराया गया। परीक्षण में चोट क्रमांक-01 एक जला हुआ घाव बांये पैर पर होना पाया था। घाव लिनियर था, जले हुये भाग की चमड़ी सफेद रंग की है व जलकर अलग हो गई है। सामान्य परीक्षण में आहत के शरीर की नाड़ी की गति 110 प्रतिमिनट है, रक्तचाप 140/90 मि.मी० ऑफ मरकरी है। शेष शरीर के अन्य तंत्र सामान्य है। उसके मतानुसार घाव से कोई मिट्टी तेल की बास नहीं आ रही थी एवं लिनियर बर्न होने के कारण चमड़ी का रंग सफेद होने के कारण इलेक्ट्रिक करेण्ट से जलना प्रतीत होता है। बर्न का प्रतिशत 04 प्रतिशत है जो उसके परीक्षण के 06 घंटे के भीतर की थी। मरीज को प्रायमरी उपचार उपरांत जिला चिकित्सालय बालाघाट रिफर किया गया था। उसकी रिपोर्ट प्र.पी.19 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

**28—** साक्षी डॉ० आर.के. चतुर्वेदी अ.सा.12 के अनुसार उक्त दिनांक को आहत इन्दरलाल की इंडोर क्रमांक 405 के तहत अस्पताल में भर्ती किया गया और उसे ईलाज दिया गया, जिसकी बेड हेड टिकिट संलग्न है, जो प्र.पी.20 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसे रात्रि 10:30 बजे बालाघाट चिकित्सालय हेतु रिफर किया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि गरम लोहा या अंगार से जलने से मनुष्य के शरीर में उक्त घाव बन सकते हैं, मिट्टी तेल का महक उसके घाव में नहीं है तो वह इलेक्ट्रिक करेण्ट से होना है, वह उक्त घाव फोरेंसिक लेब की रिपोर्ट के अनुसार नहीं बता रहा है, बल्कि अपने मतानुसार बता रहा है।

**29—** साक्षी राजिक सिद्धीकी अ.सा.06 का कथन है कि वह दिनांक 13.02.13 को थाना बैहर में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को शासकीय अस्पताल बैहर से डेविड मरार की विद्युत तार ग्यारह हजार के.व्ही. के जानवर मारने के लिए लगाया गया था, उसकी चपेट में आने से करेण्ट लगने संबंधी तहरीर प्राप्त हुई। तहरीर जांच उपरान्त दिनांक 14.02.13 को थाना बैहर में अपराध क्रमांक 22/13 धारा-337 भा.द.सं. 135, 139 विद्युत अधिनियम अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था, जिसकी विवेचना में नकल रोजनामचा क्रमांक 578 दिनांक 14.02.13 को जांच रिपोर्ट डालकर अपराध कायम किया था। अपराध विवेचना में आहत डेविड को आई चोट का मुलाहिजा फार्म भरकर मुलाहिजा कराया गया था एवं आहत इंदरलाल को भी करेण्ट से आई चोटों का मुलाहिजा कराया गया था। आहत डेविड एवं इंदरलाल की ईलाज पर्ची सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैहर जिला बालाघाट से प्राप्त कर संलग्न की गई है। आहत डेविड पंचतिलक जो ईलाज हेतु जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र भिलाई में भर्ती रहकर दिनांक 13.02.13 से दिनांक 27.02.13 तक ईलाज करवाया था, जिसकी ईलाज पर्ची सात प्रति चालान के साथ संलग्न की गयी है एवं घटनास्थल का मौका-नक्शा दिनांक 14.02.13 को तैयार किया गया था, जो प्रपी-01 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

**30—** साक्षी राजिक सिद्धीकी अ.सा.06 के अनुसार दिनांक 14.03.13 को आरोपी हरपीत से धारा-27 साक्ष्य अधिनियम के तहत मेमोरेण्डम कथन पूछताछ कर समक्ष गवाहों के तैयार किया गया था, जो प्रपी.05 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को आरोपी नंदलाल से गवाहों के समक्ष उसके बताये अनुसार संपत्ति जप्त कर मेमोरेण्डम प्रपी.06 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को आरोपी बब्लू उर्फ राधेश्याम से गवाहों के समक्ष उसके बताये अनुसार संपत्ति बरामद कर मेमोरेण्डम प्रपी-07 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल से गवाहों के समक्ष जप्त लकड़ी के टुकड़े एक खाकी कलर

का फुलपेंट अर्द्धजला हुआ जप्ती पत्रक प्रपी-11 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

**31—** साक्षी राजिक सिद्धीकी अ.सा.06 के अनुसार दिनांक 14.03.13 को आरोपी बल्लू उर्फ राधेश्याम द्वारा मकान से निकालकर पेश करने पर एक बंडल में बाराखुरी लकड़ी बांस की, छः नग लकड़ी की खुरी तीन फीट, छः नग खुरी दो फिट गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी-02 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को आरोपी हरपीत के मकान से निकालकर पेश करने पर आरोपी से पचास मीटर का पतला जी.आई. तार का बंडल और एक तीन मीटर कनेक्शन वायर मोटा वाला काले रंग का बिजली वायर जो हल्का उपर से मुड़ा है गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी.03 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को आरोपी नंदलाल के घर से आरोपी द्वारा निकालकर पेश करने पर जी.आई. तार बंडल लंबाई 16 मीटर जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी-04 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही आरोपी हरपीत, नंदलाल तथा बल्लू उर्फ राधेश्याम को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी-08 लगायत 10 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आहत डेविड, इंदरलाल तथा गवाह खेमनतीबाई, सुरेश, फूलनबाई, शांतिबाई, संतोष, गणेश, राजेन्द्र, नंदकिशोर तथा मुलायम के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। संपूर्ण विवेचना उपरान्त प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

**32—** साक्षी राजिक सिद्धीकी अ.सा.06 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि इस प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके द्वारा दर्ज की गई थी, प्रकरण की विवेचना भी उसके द्वारा की गयी थी। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि जिसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की जाती है उसके द्वारा विवेचना नहीं की जाती है। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात आरोपी

के विरुद्ध पंजीबद्ध किया था, प्रथम सूचना रिपोर्ट के समय वह धारा-337 भा.द.सं. एवं 135, 139 विद्युत अधिनियम के तहत दर्ज किया था, जिस धारा के अंतर्गत उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी थी, उसी धारा के तहत अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश किया गया था। साक्षी के अनुसार दौरान विवेचना धारा-338 भा.द.सं. बढ़ायी गयी थी।

**33—** साक्षी राजिक सिद्धीकी अ.सा.06 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि इस प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने ग्राम रजमा से कोई व्यक्ति को सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। साक्षी के अनुसार अस्पताल तहरीर के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि मौका-नक्शा तैयार किया था, उस समय किसी भी स्वतंत्र साक्षी का पंचनामा नहीं लिया था, उसने जप्ती पत्रक प्रपी.11 में किसी भी साक्षी का हस्ताक्षर नहीं लिया है, वह हस्ताक्षर नहीं होने का कारण नहीं बता सकता, उसने आहत इंदरलाल और डेविड के रिश्तेदार को जप्ती पत्रक में साक्षी बनाया है। जप्ती पत्रक के साक्षी घटना के संबंध में जानते थे, इसलिए उसने उन्हें साक्षी बनाया है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसने आरोपीगण को फंसाने के लिये आहतगण के रिश्तेदारों को जप्ती पत्रक में साक्षी बनाया है, किन्तु इन सुझावों को स्वीकार किया है कि प्रपी.03 में जो साक्षी है वह भी आहतगण के रिश्तेदार है, वह जप्ती पत्रक प्रपी-03 चैनलाल और सुरेश आहतगण के रिश्तेदार है उन्हें जप्ती के पूर्व से जानता था, इसके बावजूद भी इन्हें साक्षी बनाया है, उसने जानबूझकर प्रपी.04 में आहत के रिश्तेदारों के हस्ताक्षर करवाया है।

**34—** साक्षी राजिक सिद्धीकी अ.सा.06 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि उसने मेमोरेण्डम कथन प्रपी.05, 06 एवं 07 में उक्त व्यक्तियों को ही साक्षी बनाया है, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने आहतगण और साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध न कर अपने मन से लेखबद्ध किया है, उसने प्रकरण की संपूर्ण विवेचना तथा कार्यवाही



उसने थाने में बैठकर की है, वह आहतगण से मिलकर आरोपी को फँसाने के लिये झूठा प्रकरण बनाया है, उसने आरोपीगण के मेमोरेण्डम अपने मन से लिख लिया है उनके बताये अनुसार कथन नहीं लिखा है, उसने आरोपीगण को गिरफ्तार नहीं किया है, उसने मौका-नक्शा थाने में बैठकर अपने मन से बनाया है, आरोपीगण से कोई संपत्ति जप्त नहीं किया है।

**35—** उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को कारित दुर्घटना में आहतगण डेविड व इन्दरलाल को घोर उपहति कारित हुई थी, परंतु उक्त दुर्घटना आरोपीगण की लापरवाही अथवा उपेक्षा से कारित हुई थी, इस संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है तथा सभी साक्षियों ने अभियोजन कहानी से पूर्णतः इंकार किया है। साक्ष्य के अवलोकन पर यह दर्शित होता है कि किसी भी साक्षी ने घटना को नहीं देखा है। अपराध विधि शास्त्र अभियोजन से यह अपेक्षा करता है कि वह आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करें। सांविधिक अपवादों को छोड़कर अपराध की उपधारणा नहीं की जा सकती। “परिस्थितियाँ स्वयं प्रमाण हैं” के सिद्धांत के आधार पर उपेक्षा व उतावलेपन की उपधारणा नहीं की जा सकती। अभियोजन द्वारा इस संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है कि आरोपीगण द्वारा घटना दिनांक समय व स्थान पर किसी जंगली जानवर को पकड़ने के लिए बिजली के तार बिछाये गये थे, जिससे डेविड एवं इन्दरलाल को करेन्ट लगा और जलकर उन्हें घोर उपहति कारित हुई। इस संबंध में

**न्याय दृष्टांत—Bijuli Swain Vs. State of Orissa**

**1981 Cr.LJ 583(Ori)** अवलोकनीय है।

**36—** अतः अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-338(काउन्ट-2)के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

**37—** अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

**38—** प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक सरई की लकड़ी करीब सात

फिट चार इंच, एक खाकी कलर का फुलपेंट जला हुआ, एक बन्डल में 12 नग खूटी, 06 नग लकड़ी, 06 नग कमची, 50 मीटर पतला जी0आई0 तार का बन्डल, 03 मीटर कनेक्शन वायर मोटा, एक जी.आई. तार का बन्डल करीब 16 मीटर का निराकरण माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट द्वारा विशेष आपराधिक(विद्युत)प्रकरण क्रमांक 32/13 में पारित निर्णय दिनांक 20.11.2013 द्वारा किया जा चुका है।

**39—** आरोपीगण विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहे हैं, इस संबंध में धारा-428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया।

सही /—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
बैहर, बालाघाट(म.प्र.)

सही /—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)